प्रशासनिक अनुभाग जजशिप, सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रशा० आदेश सं०- 95 **/2021** **दिनांक-** 07/06/2021

आदेश

कोविड-19 के मामलों को दृष्टिगत रखते हुये, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक-1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 04.06.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों के द्वारा अग्रिम आदेश तक जनपद न्यायालय के कार्य हेतु निर्देश जारी किये हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी परिसर में कार्यरत न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय सम्भल तथा बाह्य न्यायालय गुन्नौर दिनांकः 07.06.2021 से अग्रिम आदेश तक निम्नलिखित मैकेनिज्म/ मोडल्टीज के तहत कार्य सम्पादित करेंगेः-

1. माननीय उच्चन्यायालय उपरोक्त पत्र 1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 04.06.2021 के अनुसार एवं समय-समय पर हाई पावर्ड कमेटी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की जायेगी न्यायालयों द्वारा लम्बित/ नई जमानतें, रिलीज, धारा-164, दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों को लेखबद्ध किया जाना, रिमाण्ड, प्रकीर्ण आवश्यक दाण्डिक प्रार्थनापत्र का निस्तारण संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त दीवानी के आवश्यक प्रकृति प्रकरण जैसे निषेधाज्ञा संबंधित प्रकरण एवं दीवानी प्रकृति के अन्य प्रार्थनापत्रों पर आवश्यकता के अनुसार सुनवाई एवं अन्य दीवानी प्रकरण जैसे कि नवीन वादों के प्रस्तुतिकरण इत्यादि की आवश्यकता का स्थानीय स्तर पर निश्चय कर इनकी सुनवाई/निस्तारण संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

2. जनपद न्यायालय की डेडीकेटेड ई-मेल-districtcourtsambhal@gmail.com के माध्यम से दोपहर 12:00 बजे तक उपरोक्त वर्णित फौजदारी व दीवानी संबंधित आवश्यक प्रकृति के प्रार्थना-पत्र एवं मामले प्राप्त किये जा सकेंगे, 12:00 के उपरान्त ई-मेल पर प्राप्त होने वाले संबंधित आवेदनों को अगले कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात् उक्त नये वादों व प्रार्थना-पत्रों को सी०आई०एस० पर पंजीकृत किया जायेगा तथा संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत किए गए प्रार्थना-पत्र पर अधिवक्ता एवं वादकारियों का विवरण एवं मोबाइल नम्बर, ईमेल आई०डी अंकित किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी कमी होने पर संबंधित अधिवक्ता को उसी दिन सूचित किया जायेगा, सिस्टम असिस्टेंट इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त रिमाण्ड/विचाराधीन बन्दियों की ओर से प्रेषित किए गए अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्रों से संबंधित न्यायिक कार्य केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माधयम से किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य के लिए JITSI Video-conference software का भी प्रयोग किया जा सकता है।

3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं०- 1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 04.06.2021 में दिये गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए न्यायिक कार्य निष्पादित किया जायेगा तथा संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कम-से-कम कर्मचारीगण को कार्य करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे, जिनकी संख्या 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं०- 1958/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 04.06.2021 के माध्यम से न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, की प्रति प्रशासनिक अनुभाग, जजशिप सम्भल स्थित चनदौसी द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारीगण को प्राप्त करायी जाये है।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की Official website पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार-पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

(हस्ताक्षर) 07/06/2021
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
6. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
7. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल।

(हस्ताक्षर) 07/06/2021
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।